कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 202/339/आउशि/गुण.प्रको/08 भोपाल,दिनांक 1/8/2008

प्रति,

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश

प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः– सैमेस्टर पद्वति के अंतर्गत जुलाई माह में छात्रो की उपस्थिति की जानकारी ।

–0–

आप अवगत होगें कि इस अकादमिक सत्र से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सेमेस्टर पद्वति लागू की जा चुकी है ओर 1 जुलाई 2008 से कक्षायें प्रांरभ हो चुकी है । एक जुलाई से 31 जुलाई तक छात्रो के द्वारा हस्ताक्षरित किये गये उपस्थिति पत्रको को अग्रणी महाविद्यालय एकत्रित कर दिनांक 03 अगस्त 08 तक संबंधित अतिरिक्त संचालक को भेजेगें । यह जानकारी निजी एवं शासकीय दोनो महाविद्यालयों से भेजी जायेगी । अतिरिक्त संचालक इन पत्रको को अपने कार्यालय में संधारित करेगें एवं दिनांक 5–8–08 तक उपस्थिति में से 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के नाम महाविद्यालयवार के नाम ईमेल के माध्यम से आयुक्त,उच्च शिक्षा को भेजेगें जिसका प्रदर्शन विभाग की वेबसाईट पर किया जायेगा । समस्त महाविद्यालयों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे छात्रो की कक्षावार उपस्थिति का प्रकाशन अपने महाविद्यालय की बेवसाईट पर संलग्न प्रारूप के अनुसार करें । अग्रणी महाविद्यालय के समस्त प्राचार्यो को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके जिले में सेमेस्टर पद्वति एवं आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था के संबंध में शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापको का प्रशिक्षण दिनांक 10 अगस्त 08 तक पूर्ण करा लिया जायें ताकि इस माह में होने वाले आंतरिक मूल्यांकन में कोई त्रुटि न हो ।

निरंतर ––––2.

आतंरिक मूल्यांकन के लिये महाविद्यालय में दूसरे महाविद्यालय से पर्यवेक्षक नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है । अतः सुनिश्चित करे कि यह समस्त कार्य दिनांक 10 अगस्त से पहले पूर्ण हो जाये ।

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालको के कार्यालय में जमा किये गये उपस्थिति पत्रको की जांच मुख्यालय से टीम भेजकर दिनांक 5–8–08 के बाद आकस्मिक तौर पर की जायेगी । अतः अतिरिक्त संचालक समस्त महाविद्यालयों से पत्रक बुलाकर महाविद्यालयवार नस्ती संधारित करना सुनिश्चित करें ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक 2 ०3/330/आउशि/गुण.प्रको/08 भोपाल,दिनांक 1/8/2008
प्रतिलिपिः–

1. सचिव,म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग ।
2. रजिस्टार,समस्त विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य,समस्त शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश ।
4. निज सहायक, मान.मंत्रीजी उच्च शिक्षा/राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पत्रक—1

अग्रणी महाविद्यालय के द्वारा भेजे जाने वाली सूचना का प्रारूप

सरल कमांक	महाविद्यालय का नाम	दर्ज विद्यार्थियों की संख्या	कक्षाओं की संख्या	माह में लिये गये व्याख्यानो की संख्या	प्रति पीरियड़ उपलब्ध पत्रको की संख्या	50 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

पत्रक–2

अतिरिक्त संचालको के द्वारा माहवार भेजे जाने वाले पत्रक का प्रारूप

सरल कमांक	क्षेत्र में महाविद्यालयों की संख्या	महाविद्यालयों में लिये गये व्याख्यानों की संख्या	जिन महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त नही हुई है ,उनके नाम	संभाग में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या	50 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की संख्या

नोट :– यह पत्रक अतिरिक्त संचालक स्तर पर संकलित कर भेजे जाये । मात्र अग्रणी महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी को आगे नही बढ़ाया जाये ।